हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 30.09.2022 को श्रीमती मीरा चंदेल पत्नी श्री हाकम चंद चंदेल निवासी 186 /10 डाकघर देवीनगर, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि. प्र.) की, खसरा नंबर 13/1 और कुल खनन क्षेत्र 4.2905 हेक्टेयर (50-19 बीघा), मौजा मोहाल मोहकमपुर नवादा, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि. प्र.) भूमि पर स्थित रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता 81,000 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 30.09.2022 श्रीमती मीरा चंदेल पत्नी श्री हाकम चंद चंदेल निवासी 186 /10, डाकघर देवीनगर, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि. प्र.) की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई खुला मैदान डैफोडिल स्कूल के समीप ग्राम नवादा, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई । प्रस्तावित खनन पट्टा **खसरा नंबर** 13/1 और कुल खनन क्षेत्र 4.2905 **हेक्टेयर** (50-19 **बीघा**), मौजा मोहाल मोहकमपुर नवादा, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि. प्र.) भूमि पट्टा गिरी नदी पर स्थित रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (**क्षमता 81,000 टन प्रति वर्ष**), **ई. आई. ए. अधिसूचना क्रमांक** 1533 **दिनांक** 14.09.2006 के अतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर श्री मनेष कुमार की अध्यक्षता में किया गया । इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि **संलग्न-1** में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता मेसर्स शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लि0 जीरकपुर, पंजाब के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

खनन की विधि

यह एक खुली खदान खनन परियोजना है। खनन पट्टा क्षेत्र से रेत, पत्थर, और बजरी का खनन किया जाएगा। कार्य पूर्ण रूप से हस्तचालित (मैन्युअल) होगा जिसमे फावड़ों, पल्लो, छलनियो, गेंतियो आदि जैसे हस्तचालित उपकरणों का उपयोग किया जायेगा। खनन पट्टा क्षेत्र गिरी नदी पर स्थित है। यह खनन खनिजों (रेत, पत्थर, और बजरी) के मौजूदा रूप में किया जाएगा। रेत, पत्थर, और बजरी का खनन जमीन से 1 मीटर तक की गहराई में ही किया जायेगा। खनन सामग्री को टिप्पर ट्रकों और ट्रैक्टर ट्राली में लोड करके बाजार तक ले जाया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार नदी/खड्ड के तल का खनन निम्नलिखित तरीकों से किया जायेगा:

- नदी तट में खनन 1 मीटर तक की गहराई में ही किया जायेगा।
- नदी तट से 1/10 एवम 5 मीटर तक के क्षेत्र में कोई खनन नहीं किया जायेगा।
- मानसून के दौरान खनन बंद रहेगा।
- कुल खनन क्षेत्र 42905.00 वर्ग मीटर है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन

प्रस्तावित खनन के लिए वायु, ध्वनि, जल, मृदा, परिस्थितिकी और जैवविविधता के पर्यावरणीय आंकड़ों का संग्रह कर लिया गया है। प्रस्तावित परियोजना श्रीमती मीरा चंदेल पत्नी श्री हाकम चंद चंदेल, द्वारा गिरी नदी पर खनन क्षेत्र का 3 महीनो का (मार्च-2021 से मई-2021) आधारभूत अध्ययन किया गया है। अध्ययन सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। एंबियंट एयर क्वालिटी की निगरानी 5 लोकेशन पर की गई। PM10 (38.50-53.40), PM2.5 (11.50- 25.40) SO2 (3.90-6.87), NOX (5.50-58.20) का परिणाम अनुमेय सीमा के भीतर पाया गया। सतह और भूजल की निगरानी क्रमशः 5 और 5 स्थानों पर की गई। पानी विभिन्न उपयोगों की खपत के लिए अनुकूल पाया गया। मिट्टी के नमूने 4 लोकेशन से एकत्र किए गए थे, जिसका पीएच 6.90 से 7.56 तक और मिट्टी Sandy loam है।

1. भूमि

खनन कार्य, ऐप्रोच रोड निर्माण एवं खनन सामग्री के परिवहन के कारण खनन का भूमि पर अत्याधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन पट्टे पर दिए गए खदान क्षेत्र और इसके आस-पास के पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे;

- इस गतिविधि में, खनन मैन्युअल रूप से किया जायेगा जो भारी मशीनरी और उनके कामकाज से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों से बचाएगा।
- मानसून के अलावा ही खनन की योजना बनाई जाती है, ताकि हर साल मानसून के दौरान खुदाई वाले क्षेत्र को दोबारा भरा जा सके।
- प्रत्येक वर्ष खदान बंद होने के अंत में नदी तट की मरम्मत की जाएगी।
- खदान का संचालन कार्य केवल दिन के दौरान ही होगा।
- किसी भी सामग्री को नदी के तट और जलग्रहण क्षेत्र में रखने या फैलाने की अनुमति नहीं है, या ऐसी किसी भी सामग्री से किसी भी गड्ढे को भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- नदी तट पर खनन किये गए रेत और पत्थर के एकत्रीकरण को नियंत्रित किया जाएगा।

नदी तट तक पहुंचने का आधार निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

- ढलान को कम करने के लिए रैंप का निर्माण किया जायेगा।
- नदी के तट के समानांतर खनिज ढुलाई वाली सड़के और नदी तल के रैंप को जोड़ने वाली सड़कों की दुरी नदी तट से कम से कम 100 मीटर रहेंगी।

पौधारोपण एवम भूमि संरक्षण

मृदा की गुणवत्ता, सौंदर्यात्मकता में सुधार और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए सड़क के किनारे। (कच्ची सड़क) और नदी के किनारे ग्राम पंचायत के परामर्श से वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलवा खसरा नं. 629 /532 /322 कुल क्षेत्र 2.5 हेक्टेयर मे वृक्षारोपण किया जाएगा।

2. जल प्रदूषण नियंत्रण उपाय

(i) सतही जल

खनन प्रक्रिया के कारण सतही जल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालाँकि जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे।

- नदी में ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की धुलाई नहीं की जाएगी।

(ii) भूजल

भूजल की गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनिज (रेत, पत्थर, और बजरी) उत्पादन में कोई हानिकारक तत्व नहीं होता है, जो जमीन में फैल सके और भूजल को प्रदूषित कर सके। इसलिए किसी प्रकार के नियंत्रण उपायों की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आसपास के मौजूदा हैंड पंपों/नलकूपों में जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी, क्षेत्र और समय अंतराल के संदर्भ में की जाएगी।

3. वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय

प्रस्तावित खनन कार्यों के लिए प्रदूषकों का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर है। फिर भी, परिवेशी वायु में PM10 के स्तर को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जाएगा:

विभिन्न खनन गतिविधियों के दौरान उत्पन्न धूल कण परिवेशी वायु में PM10 के स्तर में वृद्धि करते हैं। धूल उत्पादन का प्रमुख स्रोत टिपर ट्रक और ट्रैक्टर/ट्रॉलियों द्वारा खनिजों का परिवहन है। खनिजों के परिवहन के साथ-साथ खनन कार्यों के दौरान पर्याप्त नियंत्रण के उपाय किए जाएंगे। वायु प्रवाह से पैदा होने वाली धूल के कारण वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

- ग्रीन बेल्ट को नदी के किनारे, सड़क किनारे एवम खसरा नं. 629 /532 /322 मे वृक्षारोपण किया जाएगा।
- सड़कों पर पानी के छिड़काव से धूल दमन किया जाएगा।
- खनिज के परिवहन के कारण धूल के उत्सर्जन को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा।

- सड़क के किनारे (कच्ची सड़क), नदी के किनारे ग्राम पंचायत के परामर्श से वृक्षारोपण गतिविधियां की जाएगी। जिससे आस-पास के गाँवों में धूल के प्रभाव को कम किया जायेगा। इसके अलवा उच्च बाढ़ स्तर (HFL) के बाहर प्रस्तावक की अपनी निजी भूमि में वृक्षारोपण किया जाएगा।

4. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय

किसी भी भारी मशीनरी का उपयोग नहीं होगा इसलिए रेत खनन और अन्य खनन गतिविधियों के कारण शोर के स्तर पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक विस्तृत शोर सर्वेक्षण किया गया है जिसमे परिणाम मानकों के साथ, संदर्भित और सीमा के भीतर परिणाम पाए गए है। खनिजों के खनन में रेत और पत्थर उठाने के लिए ब्लास्टिंग तकनीक का उपयोग नहीं किया जायेगा, इसलिए भूमि कंपन की कोई संभावना नहीं है। यह पाया गया कि प्रस्तावित खनन गतिविधि के क्षेत्र के शोर से वातावरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। टिपर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा रेत और पत्थर के परिवहन के कारण शोर उत्पन्न होगा। खनिजों के परिवहन एवं पत्थर को बाजार तक कच्ची सड़कों द्वारा ले जाने के एकमात्र कारण से शोर उत्पन्न होगा। शोर को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जायेंगे।

- ग्रामीण क्षेत्र में हॉर्न का न्यूनतम उपयोग और 10 किलोमीटर की गति सीमा निर्धारित की है।
- कंपन और ध्वनि को कम करने के लिए वाहनों और उनके साइलेंसर का समय अंतराल पर रखरखाव किया जायेगा।
- पुराने ट्रकों को चरणबद्ध तरीके से बदला जायेगा।
- ग्राम पंचायत के परामर्श से उच्च बाढ़ स्तर (HFL) के बाहर प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा।
- रेत और पत्थर लोडिंग के दौरान ध्वनि स्तर को कम करने के लिए हर सम्भव कोशिश की जाएगी।

5. जैविक पर्यावरण

नदी के किनारे से खनिज का खनन मानसून के दौरान जल प्रवाह को चैनलाइज़ करने में मदद करेगा और नदी के किनारों को होने वाले नुकसान से बचायेगा। यह पाया गया है कि रेत और पत्थर खनन गतिविधि के क्षेत्र का जैविक वातावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जैविक पर्यावरण पर प्रभाव के शमन उपाय

- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जलीय जीवन पर प्रभाव को कम करने के लिए मानसून के मौसम के दौरान कोई खनन गतिविधि नहीं की जाएगी जो मुख्य रूप से कई प्रजातियों के लिए प्रजनन का मौसम है।
- खनन कार्य बंद करने से पहले/बरसात के मौसम के दौरान खनन किये गए नदी तट को पुनर्निर्मित किया जाएगा।
- धूल उत्सर्जन से बचने के लिए पानी का सड़कों पर छिड़काव किया जाएगा, जिससे फसलों को नुकसान से बचाया जा सकेगा।
- मछली प्रजातियों की आवाजाही में रूकावट न हो इसलिए खनन पट्टे के क्षेत्र के सूखे हिस्से पर ही खनन किया जाएगा।
- वन्यजीवों को विचलित एवम आकर्षित करने वाले पदार्थ जैसे भोजन, पॉलिथीन कचरे आदि को खनन पट्टे के क्षेत्र में रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रात के समय खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यह जंगली जीवन का ध्यान आकर्षित कर सकती है।

6. सामाजिक-आर्थिक वातावरण

यह परियोजना स्थानीय लोगों को आजीविका प्रदान करेगी। इस परियोजना (रेत, पत्थर और बजरी का खनन) के संचालन से क्षेत्र की सामाजिक अर्थ व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह न केवल खदान स्थल पर बल्कि खनन से जुड़े संयंत्र में भी स्थानीय लोगो के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजट आवंटन

सख्या	विवरण	पूंजीगत लागत (लाख रुपयों में)	वार्षिक आवर्ती लागत (लाख रुपयों में)	5 साल के लिए समय आवर्ती लागत (लाख रुपयों में	समय सीमा
1	हवा, पानी, मिट्टी आदि का अध्ययन वर्ष में दो बार	----	1.0	5.0	छह महीने में एक बार (CPCB दिशानिर्देश के अनुसार)
2	वायु प्रदूषण नियंत्रण- खनिज ढुलाई वाली सड़क पर धूल को नियंत्रित करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर द्वारा छिड़काव किया जायेगा - वाटर स्प्रिंकलर की डेप्रिसेशन (मूल्यहास) लागत	----	1.35	6.75	दिन में दो बार और आवश्यकता के अनुसार
3	वृक्षारोपण उच्च बाढ़ स्तर (HFL) के बाहर प्रस्तावक की अपनी निजी भूमि जिसका क्षेत्र लगभग 2.5 हेक्टेयर है में वृक्षारोपण किया जाएगा। पौधों की संख्या = 3000 पौधे वृक्षारोपण प्रस्तावित है @ *प्रति हेक्टेयर 1200 पौधे । • लागत • No. Ft. 1790 -/ 71 (D) | 2011-12 / Vol-VIII (मानदंड), हिमाचल प्रदेश वन विभाग, शिमला दिनांक 07 जून 2019 के अनुसार है।	3.05	0.31	1.53	पर्यावरण मंजूरी मिलने के एक महीने के अंदर
4	नदी तट की सुरक्षा के लिए गैबियन संरचना का प्रावधान । गैबियन संरचना की संख्या एवं माप = 2, (लम्बाई-145 मीटर x चौडाई-1.0 मीटर x ऊंचाई-1.5 मीटर) x 2 = 435 Cu.m. (नदी तट के दोनो ओर) *@3,004.05 (गैबियन संरचना यांत्रिक रूप से बुने हुए डबल ट्विस्टेड हेक्सागोनल आकर के तार जाल गैबियन बॉक्स के साथ IS 16014:2012,2020 हिमाचल प्रदेश के मानक अनुसूची के अनुसार।	14.90	1.49	7.45	खनन योजना के अनुसार,वल्नरेबल (कमजोर) स्थान पर सुरक्षा के लिए 2 गैबियन संरचना का प्रावधान है । (लम्बाई-145 मीटर, चौडाई-1.0 मीटर ओर ऊंचाई-1.5 मीटर की है।
5	सेप्टिक टैंक	0.20	0.06	0.30	खनन कार्य शुरू होने से पहले आवश्यकता के

					अनुसार निर्माण किया जाएगा
6	व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), प्राथमिक चिकित्सा एवम अन्य विविध व्यय प्रावधानों के उपाय	0.34	0.17	0.85	
	कुल लागत	18.49	4.38	21.88	-------

कॉर्पोरेट के पर्यावरणीय उत्तरदायित्व (सी.ई.आर) योजना और बजट

परियोजना की अनुमानित लागत रु. 20 लाख है परियोजना लागत का 2% कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (सी.ई.आर) के तहत पर्यावरण हित में लगाया जायेगा। सीईआर की संभावित गतिविधियों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग की आदेशानुसार चार प्लास्टिक वेस्ट श्रेडर मशीन, चार प्लास्टिक वेस्ट कम्पेक्टर मशीन, चार बेलिंग मशीन एवं छह सोलर लाइट उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

अन्त मे परियोजना के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिपण्णी
1	श्री पवन शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब।	इन्होने पूछा की : 1. क्या बताये गए भू जल सैंपलिंग पॉइंट्स को चिन्हित कर विस्तृत परियोजना मे दर्शाया गया है। 2. क्या पौधा रोपण हेतु चिन्हित एक एकड़ भूमि खनन क्षेत्र मे है या अलग है तथा इसे अर्ध वार्षिक अनुपालना रिपोर्ट मे दर्शाया जायेगा। 3. क्या खनन क्षेत्र मे टॉयलेट्स का भी प्रावधान है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि सैंपलिंग पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मे दर्शाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि खनन क्षेत्र नदी तल है, इसलिए परियोजना प्रस्तावक ने खनन क्षेत्र के निकट निजी भूमि को चिन्हित किया है साथ ही इन्होने कहा कि अनुपालना हेतु एफिडेविट भी दिया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि खनन क्षेत्र के पास मोबाइल टॉयलेट का प्रावधान किया जायेगा।

2	श्रीमती महराज खातून, प्रधान ग्राम पंचायत नवादा।	इन्होने कहा कि अक्सर खनन चिन्हित क्षेत्र से बाहर किया जाता है जिस से नदी का रुख बदल जाता है। पूर्व मे हुए बेतरतीब खनन के कारण इस वर्ष नदी के रुख बदलने के कारण ग्राम सूरतगढ़ मे लगभग 100 से 150 मीटर नदी किनारे का कृषि भूमि का कटान हुआ है। अतः गांव की तरफ पानी का बहाव को रोकने व भूमि कटान रोकने के लिए कंक्रीट दीवार का प्रावधान किया जाए। साथ ही इन्होने कहा की भूमि कटान से गांव से नदी मे उतरने वाला रास्ता बह गया है व एक खड़ी ढलान बन गई है। गावं के लोग अंतिम संस्कार आदि कार्यो के लिए इस रस्ते का उपयोग करते है अतः इसे तुरंत ठीक किया जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि खनन निर्धारित भूमि पर ही तथा नदी किनारो से 5 मीटर छोड़ कर किया जायेगा। भूमि कटान रोकने के लिए गैबियन स्ट्रक्चर बनाया जायेगा साथ ही नदी मे उतरने वाले रास्ते को JCB की सहायता से समतल व चलने योग्य बनाया जायेगा।
3	श्री अनिंदर सिंह नॉटी, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हिमाचल प्रदेश।	इन्होने कहा कि खनन कार्यो से भूमि कटान तथा खेती प्रभावित ना हो साथ ही परियोजना मे स्थानीय लोगो को पात्रता अनुसार रोजगार मे प्राथमिकता दी जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि परियोजना द्वारा कुल 34 लोगो को रोजगार का अनुमान है जिसमे स्थानीय लोगो को प्राथमिकता दी जाएगी तथा माल ढुलान हेतु स्थानीय लोगो के ट्रेक्टर ट्रालियों का ही उपयोग किया जायेगा।
4	श्री मनेष कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त जिला सिरमौर हि. प्र.	इन्होने कहा कि स्थानीय लोगो को परियोजना मे 75 % रोजगार देने के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक एफिडेविट दिया जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने इस सम्बन्ध मे अपनी सहमति व्यक्त की।
5	श्री नाजिम अली निवासी ग्राम नवादा।	इन्होने कहा कि प्रस्तावित खसरा संख्या 13 /1 वास्तव मे किस भूमि को दर्शाता है यह स्थानीय लोगो को बताया जाए। पूर्व मे भी खनन निर्धारित भूमि से बाहर बेतरतीब तरीके से किया गया है जिस से यह क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ है। इन्होने कहा की खनन वाहन तेज रफ्तार से गावं की सड़को से गुजरते है	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि खनन निर्धारित भूमि पर ही तथा नदी किनारो से 5 मीटर छोड़ कर किया जायेगा। ट्रेक्टर ट्रालियां नदी के रास्ते ही खनन क्षेत्र से क्रशर पॉइंट तक पहुंचेगा व माल ढुलाई हेतु गांव के रास्तो का उपयोग नही किया जाएगा।

		जो की दुर्घटनाओं व लड़ाई झगडे का कारण बनते है। इन्होने कहा की अधिकतर खनन पट्टे इस क्षेत्र मे होने के बावजूद हमारी पंचायत को माइनिंग फण्ड कम दिया जाता है। स्थानीय लोगो को रोजगार नही दिया जाता है। अतः मेरी मांग है कि परियोजना प्रस्तावक सभी समस्याओ का समाधान और खनन यदि नियमानुसार हो तो हमे कोई आपत्ति नही है।	श्री मनेष कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त जिला सिरमौर हि. प्र. ने उपस्थित पटवारी को निर्देश दिया की खसरा संख्या 13 /1 को मोके पर देख कर लोगो को बताया जाए।
6	श्री रविंदर कुमार, निवासी नवादा।	इन्होने कहा कि ट्रेक्टर ट्रालियों से उड़ने वाली धूल मिट्टी को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए जा रहे है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि धूल मिट्टी को रोकने के लिए सड़को पर जल छिड़काव किया जाएगा। ।
7	श्री गुरविंदर सिंह निवासी शिवपुर पंचायत BDC सदस्य ।	खनन विभाग व स्थानीय प्रशासन द्वारा नदी के साथ साथ लगती एक सड़क प्रस्तावित थी जो की अभी तक नही बनी है, हमारी मांग है की सड़क को शीघ्र बनाया जाए ताकि माल ढुलान कर रहे ट्रेक्टर ट्रालियां गांव की सड़को पर ना आए।	श्री कुलभूषण शर्मा, खनन अधिकारी सिरमौर:- सड़क निर्माण खनन विभाग के दायरे मे नही है क्योकि इसके लिए जरुरी मशीने तथा श्रमिक विभाग के पास उपलब्ध नही होते, फिर भी यदि पूर्व मे कोई प्रस्ताव इस विषय मे दिया गया है तो विभाग उपलब्ध फण्ड से इसे पूरा करने का प्रयास करेगा। श्री विवेक महाजन, उप-मंडलाधिकारी पाँवटा साहिब : इन्होने कहा की वर्तमान मे यमुना नदी का चेनलाइज़शन प्रस्तावित है उसके उपरांत ही इस सड़क का कार्य शीघ्र अति शीघ्र कराया जायेगा।
8	श्री संजय सिंघल, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद् पाँवटा साहिब।	विभिन प्रकार के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती है जो की खनन पट्टो से ही उपलब्ध होती है। अतः विकास कार्यो को सुचारु रूप से करने के लिए इस प्रकार की परियोजनाएं आवश्यक है।	
9	श्री मोहित सैनी उप-प्रधान, नवादा।	खनन मे उपयोग होने वाले वाहन गांव की सड़को को ख़राब कर रहे है जबकि	श्री विवेक महाजन, उप-मंडलाधिकारी पाँवटा साहिब : इन्होने कहा की चालान केवल

		यदि गांव वासियो का कभी कभार ट्रेक्टर नदी मे जाता है तो उनका चालान कर दिया जाता है।	उन्ही वाहनों का होता हैं जो या तो बिना नंबर प्लेट के होते है या जिनका रजिस्ट्रशन केवल कृषि कार्यो के लिए होता है।
10	श्री सुभाष चंद्र, निवासी ग्राम नवादा।	सुभाष चंद्र वाहनों के आवाजाही के कारण अम्बवाला -बरोटीवाला सड़क की हालत ख़राब है अतः इसे सुधारा जाए।	श्री विवेक महाजन, उप-मंडलाधिकारी पाँवटा साहिब : सभी क्रशर ऑपरेटर मिलकर इस सड़क को ठीक कराए और धूल की रोकथाम हेतू सड़क पर जल छिड़काव को भी सुनिश्चित किया जाए।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावो, विचारो और टिप्पणियों को नोट किया गया हैं एवं इस जनसुनवाई की कार्यवाही को कलमबध कर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा। अंत मे जनसुनवाई के समापन पर उपायुक्त सिरमौर द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर
नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)